RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

दलित भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अगस्त-2017 | वर्ष - 09 | अंक : 07 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान इलाहाबाद), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
सहायक ब्यूरो चीफ (उ.प्र.) : चन्द्रिका प्रसाद ओमर, 49ए/52-बी, ख्यौरा, आजाद नगर, कानपुर, मो.: 9305256450
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, बी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
फुरकान खान, मो. : 8081577681
राकेश समुन्द्रे, मो. : 9889727574
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कन्नौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
धिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपावक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक की उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0005307

श्रमिकों के प्रति सरकारी दायित्व

26 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित सातवें श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जो अब भारतीय श्रम सम्मेलन कहलाएगा, माननीय श्रम सदस्य, डा. बी.आर. अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए सरकार के दायित्व का लेखा-जोखा पेश किया और आग्रह किया कि भारतीय मजदूरों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कानून बनाया जाए।

रॉयल श्रमिक आयोग की सिफारिशों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कंवेशनों की स्वीकार्यता के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का लेखा-जोखा पेश करते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने केवल दस सिफारिशें ही शेष हैं जो विचाराधीन हैं और 63 कंवेशनों में से भारत को 19 की पुष्टि करनी है। परंतु श्रम सदस्य ने बताया कि "यह भारत की अनिच्छा के कारण नहीं है" अपितु इसका कारण "वह नियम है कि भारत उन्हें बिना परिवर्तन अथवा संशोधन के स्वीकार कर ले।" श्रम सदस्य ने कहा कि "यह संभव हो सकता है यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक ऐसा समझौता मसौदा तैयार करे जिसमें पुष्टि के चरणों की व्यवस्था की जाए।"

उपस्थित जन का स्वागत करते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा -

"मैं समझता हूं हम प्रसन्न है कि शांति स्थापित हो गई है। हमें छह साल तक कठोर संघर्ष करना पड़ा जिसमें जन धन की आपार हानि हुई। इस बात का तो कुछ कहना ही नहीं कि हमें कितने कष्ट भोगने पड़े। यह हमारे लिए सकून की बात है कि अब हमारे सामने युद्ध की समस्या नहीं है, न युद्ध प्रयासों की, जिससे हमें सब कुछ न केवल तैयार रखना पड़ता था बल्कि अत्यंत अल्पावधि सूचना पर तैयार करना पड़ता था। भगवान का धन्यवाद है कि वह बात अब नहीं रही। परंतु आप सब जानते हैं कि हमें कष्ट देने के लिए अब युद्ध वाली स्थिति नहीं है, अब हमारे शांति काल की समस्याएं हैं जैसे कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का पुनर्निर्माण। इन समस्याओं से भारत विश्व के अन्य देशों से कम प्रभावित नहीं हैं।

सरकार का दायित्व

इस सम्मेलन के समक्ष जो विचारणीय समस्याएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रमिक कल्याण और मालिकों व श्रमिकों के संबंध। इस परिप्रेक्ष्य में सम्मेलन अपने काम से अवगत है। मैं सोचता हूं कि इस अवसर का जो उपयोग मैं करूं वह है एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना ताकि हमें इस बात का सही अनुमान हो कि हमने अपने क्षेत्र में क्या किया है और क्या करना बाकी है।

लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मैं पहले अपने दायित्वों से आरंभ करूंगा। हमारे दायित्व कई दिशाओं में है। ये श्रमिकों के लिए रॉयल श्रम आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न हुए हैं जो 1930 में दी गयी थीं। हमारे दायित्वों का दूसरा स्त्रोत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका भारत शुरू से ही सदस्य है, के कंवेंशन हैं।

रॉयल श्रम आयोग ने 357 सिफारिशें की थीं। इस दुर्जेय संख्या से पता चलता है कि भारत 1929 में श्रम कानूनों के क्षेत्र में अन्य देशों से कितना पीछे था। इन 357 सिफारिशों में से (पूर्ण और आंशिक) 133 के लिए कानून बनाना है। सरकार ने इन 133 में से 126 स्वीकार की ली है। स्वीकृत 126 में से केवल सात को अस्वीकार किया गया। 106 पर कार्यवाई की गई। अब केवल 20 विचाराधीन हैं। इन 20 में से 10 का संबंध कार्यशाला के लिए कानून बनाने से है। कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इनका विवेकाधीन अधिकार प्रांतीय सरकारों का है। इस प्रकार, दरअसल केवल 10 सिफारिशें बची हैं। इस संबंध में हमारा दायित्व बहुत कम है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कंवेशन

"दूसरे स्त्रोत के दायित्व के सवाल पर यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1919 से 1943 तक श्रम संबंधी विभिन्न विषयों पर कुल 63 कंवेंशन स्वीकार किए हैं। भारत ने केवल 14 की पुष्टि की है और 49 की पुष्टि करनी है।

अब आपके सामने स्थिति का ब्यौरा उपस्थित है। रॉयल श्रम आयोग पर हमारा काम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कंवेंशनों की अपेक्षा बेहतर है। दरअसल यह संभावित था क्योंकि रॉयल श्रम आयोग की सिफारिशें भारतीय परिस्थितियों के अधिक अनुकूल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें सामान्य श्रेणी की हैं।

"वास्तविकता यह है कि रॉयल आयोग की सिफारिशें के दृष्टिकोण से हमारा दायित्व नगण्य है, कंवेंशनों की पुष्टि से यह विशाल है। जिन कंवेंशनों की पुष्टि नहीं हुई उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए आवश्यक है कि उनको बहुत सावधानी से अध्ययन करें और अपने श्रमिकों का स्तर ऊंचा उठाएं जैसा कि राष्ट्रीय परिस्थितियों का तकाजा है। उसका मानक तुरंत निश्चित किया जाना चाहिए। आशा है यह संक्षिप्त सर्वेक्षण हमें यह सोचने का अवसर देगा कि कानूनों के बारे में कितना कार्य शेष है। यह एक ऐसा ऋण है जिससे हमें उऋण होना है। जब मैं यह कहता हूं कि इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते तो आप मुझसे सहमत होंगे। हम इससे पलायन नहीं कर सकते। विश्व जनमत हमें इससे मुंह नहीं मोड़ने देगा।

"मैंने अपने दायित्वों को निभाने की जो बात कही है इसका कारण यह है कि आप देश में बहुत सी गलतफहमियां सुन सकते हैं - श्रम कानूनों की आवश्यकता और तात्कालिकता के बारे में बहुत शिकायतें की जा रहीं है। कई लोग सदा ब्रिटेन का अनुसरण करने की बात करते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन में मौजूदा श्रम संहिता लागू करने में एक शताब्दी लगी। दूसरे लोगों का आग्रह है कि उद्योगों पर श्रम कानूनों का भार लादना अनुचित होगा, क्योंकि ये उद्योग अभी अपनी शैशव अवस्था में हैं और रूस की मिसाल देते हैं जहां कर्मचारी वर्ग को विवश किया जाता है कि वे उद्योगों को फलने-फूलने देने के लिए बहुत निम्न स्तर को स्वीकार कर लें। यह भी कहा जाता है कि भारत में श्रम कानूनों का पालन कराने के लिए अभी प्रशासनिक तंत्र मौजूद नहीं है, इसलिए ये कानून अभी बट्टे खाते में पड़े रहेंगे। आमतौर पर एक और तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है और वह श्रमिकों की विलासिता का भार सहन नहीं कर सकता।

श्रम कानून

"मैं नहीं समझता कि विश्व जन-मत इस बात को स्वीकार कर सकेगा। इन तर्कों को अच्छा और सही मानने

के बजाय श्रमिक वर्ग इन बातों को बहानेबाजी मानेगा।

"श्रमिकों का यह कहना सही होगा कि ब्रिटेन में यदि श्रम कानून संहिता को 100 साल लगे तो यह कोई तर्क नहीं है कि भारत भी 100 साल लगाए। इतिहास के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि हम अन्य देशों की गलतियां दोहराएं। हम इतिहास के अध्ययन से गलतियां को पता लगाते हैं यह जानने के लिए कि लोगों ने जो गलतियां की हैं उनसे कैसे बचा जाए। इतिहास मिसाल नहीं। अक्सर यह एक चेतावनी होती है।

श्रमिकों को यह कहने का अधिकार है कि ऐसे देश में जहाँ उद्योग निजी क्षेत्र में हैं और उनका लाभ उद्योगपतियों को मिलता है, रूस का उदाहरण देना व्यर्थ है। रूस के उद्योग सरकारी हैं और उनसे प्राप्त लाभ सरकारी खजाने में जाता है, कुछ व्यक्तियों की तिजोरियों में ही नहीं। जहां उद्योगों का लाभ सरकार को मिलता है वहां के लोगों से यह कहना अनुचित नहीं कि अंतरिम काम में वेतनों में और जीवन स्तर में कमी कर दें ताकि उद्योग पनप सकें। यह जानकर श्रमिकों को क्षोभ नहीं होगा कि आखिर उद्योग सरकार के ही हैं और उसे सरकार की सम्पन्नता में हिस्सा मिलता है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में श्रमिक जीवन-स्तर और वेतन घटाने पर क्यों सहमत हो जाएगा जहां लाभ कुछ व्यक्तियों की जेबों में जाता हो। मुझे विश्वास है कि आप मानेंगे कि इस बात में वजन हैं।

श्रम कल्याण के लिए धन

श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए हमारे पास समुचित व्यवस्था नहीं है, यह तर्क भी कोई ठोस दलील नहीं है। श्रमिक कई प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं और हर बिंदु पर आप अपने को लाचार पाएंगे। सरकार कानून और व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा पुलिस बल रखती है। कर संग्रह के लिए राजस्व कर्मचारी रखती है। श्रमिक कह सकते हैं कि सरकार का कर्तव्य केवल कर-संग्रह और कानून की अवज्ञा करने वालों को सजा देना ही है? क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सेवा की शर्तों का पालन कराने के लिए भी ऐसी व्यवस्था करे जो सभ्य जीवन के अनुरूप हो? यदि सरकार का यह कर्तव्य है, तो क्या सरकार इसके लिए बाधित नहीं है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करे और उसे चलाए? व्यवस्था के अभाव का तर्क आधारहीन है।

"श्रम कानूनों पर आने वाले खर्च की क्षमता के विषय में जो तर्क हैं वह महत्वपूर्ण हैं और श्रमिकों को इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही इस तर्क के पीछे विश्वास का प्रश्न भी है। क्या यह जायज तर्क है? या यह जिम्मेदारी से हाथ खींच लेने का बहाना मात्र है? श्रमिक कहेंगे कि लागत का तर्क बेदम है, क्योंकि युद्ध पर कितना धन खर्च हुआ? हम सभी जानते हैं कि युद्ध के लिए विशाल धनराशि एकत्र की गई और धनवानों की कमर पर युद्ध करों का कितना भारी बोझ लादा गया।

श्रमिकवर्ग राजनीतियों से पूछ सकता है कि यदि युद्ध पर हुआ खर्च जन-कल्याण पर किया जाता तो कितने बेघर लोगों को अच्छे आवास दिए जा सकते थे, कितने नंगे बदनों को ढंग के वस्त्रों से ढका जा सकता था, कितने भूखे पेटों की आग बुझाई जा सकती थी, कितने निरक्षरों को शिक्षित किया जा सकता था, कितने बीमारों का इलाज कराया जा सकता था? श्रमिक धनवानों से पूछ सकते हैं जब युद्ध का खर्च उठाने पर आपको मलाल नहीं हुआ तब श्रमिकों का जीवन-स्तर उठाने पर आने वाले खर्च से क्यों नाक भौं सिकोड़ते हों? मैं सोचता हूं इस सवालों का जवाब हंसी-खेल नहीं है।

"मैंने आपको उन श्रम कानूनों का विवरण दे दिया है जो शेष हैं। मैंने यह भी बता दिया है हम इनसे क्यों नहीं बच सकते। इस प्रकार मुझे इस बात के लिए खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तुत कार्यसूची इतनी लंबी है। कार्यसूची में आठ मदें हैं। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से मद संख्या 2 जिसका संबंध काम के घंटे कम करने से है, मद संख्या 3 जो न्यूनतम वेतन कानून से सम्बद्ध है और मद संख्या 8 जो मजदूर संघों की मान्यता के बारे में हैं।

मंदी का सामना करने के उपाय

"आप कल्पना कर सकते हैं कि विशेष बल देने के लिए मैंने इन्हीं मदों को क्यों चुना। शांति स्थापना सुखद है लेकिन इससे समस्याओं का पिटारा भी खुल जाएगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी बेरोजगारी की भीषण समस्या। हमें इसका जोर कम करने के लिए और श्रमिकों का स्तर घटने से रोकने के तुरंत उपाय करने होंगे। मेरा विश्वास है कि स्थिति सहज बनाने के लिए तीन काम जरूरी हैं। पहला, काम के घंटे घटाना ताकि बहुत से लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए व्यवस्था की स्थापना। बेरोजगारी के साथ ही ऐसी तंत्र व्यवस्था के अभाव में श्रमिकों के स्तर में गिरावट अवश्यंभावी है जिसे रोकना होगा। तीसरा, मालिकों और मजदूरों से संकल्प करना कि वे मिल-बैठ कर बात करेंगे और मिल-जुल कर साझा समस्याओं को खुलझांएगे। मेरे निर्णय में इससे अधिक प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता कि मजदूर संघ मजबूत और जिम्मेदार बनें।

"मैं यह दावा नहीं कर सकता कि श्रम विभाग में शिथिलता नहीं है। मैं कहता हूं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से उत्पन्न हुई हैं जो कंवेंशन निर्णयों के कारण हैं। मैंने कहा है कि कंवेंशनों की पुष्टि न किए जाने से ये समस्याएं विकराल बन गई हैं। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि सरकार द्वारा कंवेंशनों की आवश्यक बातों को मान्यता न देने का कारण आनाकानी करना नहीं है। इसका कारण मुख्य रूप से वे नियम हैं जिनके कारण यह आवश्यक है कि समझौतों को बिना परिवर्तन या संशोधनों के ही स्वीकार किया जाए। इन्हें संपूर्ण रूप से ही स्वीकार करना है या नहीं करना है। मेरा विश्वास है कि यही प्रावधान है जिसके कारण हमें यह नीति अपनानी पड़ती है। यही बड़ी कठिनाई है। इससे हमें यह छूट नहीं कि हम एक-एक करके उठाएं जो भारत जैसे पिछड़े देश के लिए एकमात्र विकल्प और आशा है।

चरणबद्ध प्रगति

मैं इस नियम में संशोधन पर बल देना चाहता हूं क्योंकि वह एशियाई देशों के लिए बहुत आवश्यक है जिन्हें एक लंबा सफर तय करना है। मौजूदा प्रावधान में यह संशोधन करना असंभव नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए यह संभव है कि एक समझौते का प्रारूप तैयार किया जाए जिससे विभिन्न चरणों की व्यवस्था की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए यह भी संभव है कि वह एक ऐसा समझौता नियत करे जो चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके, जिसमें यह व्यवस्था भी हो कि समझौतों की सूची पर नियत समय में काम पूरा किया जा सके। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि ऐसा परिवर्तन किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को कई चरणों में पूरा किया जाए, जो ऐसे नियमों के अलावा हो जिनके कारण काम रूक जाता है।

कहीं आपको भ्रांति न रहे, इसलिए मैं एक और प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि मैंने सम्मेलन का विधान बदलने पर विचार के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव किया था। आप जानना चाहेंगे कि सरकार समिति की रिपोर्ट पर क्या करना चाहती है।

समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार का, सम्मेलन का विधान बदलने का कोई इरादा नहीं है। सरकार इतना ही काफी समझती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार संगठन का नाम बदलने के सिवाय और कुछ न किया जाए। सम्मेलन की बैठकें कई नामों से होती हैं जैसे-मंत्री सम्मेलन, त्रिपक्षीय सम्मेलन और पूर्ण सम्मेलन। मुझे प्रसन्नता है कि समिति ने फैसला किया है कि इसे "श्रम सम्मेलन" कहा जाए। शेक्सपीयर के इस कथन के बावजूद कि नाम में क्या रखा है "श्रम सम्मेलन" नाम से "पक्षीय" या "पूर्ण" का आभास नहीं होता। मैं केवल यह टिप्पणी करना चाहता हूं कि समिति द्वारा सुझाए गए नाम से रंगत नहीं है। यह ऐसा दोष है जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। यदि इसे निर्णयानुसार "श्रम सम्मेलन" कहीं कहना है तो हम फैसला करें कि इसे "भारतीय श्रम सम्मेलन" कहा जाए। मैं समझता हूं कि आपकी इस बिंदु पर सहमति होगी।

"सरकार एक और चीज करना चाहती है जिसका रिपोर्ट से संबंध नहीं है। वह है सम्मेलन का कार्यक्षेत्र विस्तृत करना।

"पेरिस में हुए पिछले श्रम सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि ने वचन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पारित समझौतों को इस संस्था में सिफारिशों के लिए पेश किया जाएगा। भारत सरकार उस वचन को निभाना चाहती है। इससे प्रांत और देसी राज्यों को यह पता चल सकेगा कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में क्या किया गया ताकि उसके संदर्भ में विचारों का लाभ उठाया जा सके।

सम्मेलन की कार्यवाही

भारतीय श्रम सम्मेलन ने 27 नवंबर की बैठक में, कारखानों में सप्ताह में 48 घंटे काम की अवधि निर्धारित करने का सर्वसम्मत समर्थन किया था। इसमें केंद्र और प्रांतीय सरकारों, महत्वपूर्ण देसी राज्यों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सरकार के इस प्रस्ताव पर कि औद्योगिक कैंटीनों की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 1934 के कर्मचारी मुआवजा कानून में संशोधन किया जाए लगभग पूरी सहमति थी।

श्रम विभाग के ज्ञापन में कहा गया कि कर्मचारी को कारखाने के अतिरिक्त समुचित समय दिया जाए। इससे उन्हें वंचित रखना अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है। यह नागरिक भाव जागृत करने और उनकी शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस बात पर बल दिया गया कि इस समय एक अच्छा अवसर है कि इस विषय पर बात की जाए क्योंकि उन कारखाना कर्मचारियों को राहत पहुंचानी होगी, जिन पर युद्ध के दौरान भारी दबाव पड़ा। जब काम के घंटे कम होंगे, तो नौकरी ज्यादा लोगों को मिलेगी। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि काम के घंटे कम करने से मूल वेतन और मंहगाई भत्ते पर जब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जब तक कीमतों में गिरावट न आए। अंशकालिक कर्मचारियों की दरें इस सिद्धांत पर समायोजित की जाएं कि उनकी आय नियत-कालिक कर्मचारियों से कम नहीं होनी चाहिए।

सम्मेलन में इस बात पर भी विचार किया गया कि युद्ध के पश्चात् निठल्ले हुए सैनिक कार्मिकों और छंटनी किए गए युद्ध कर्मचारियों की सहायता के लिए श्रम विभाग द्वारा बनाए गए रोजगार दफ्तरों का संगठन और कार्यप्रणाली क्या हो।

इस विषय पर श्रम विभाग के ज्ञापन में कहा गया है कि रोजगार दफ्तर केवल तभी उपयोगी सहायता पहुंचा सकते हैं जब उनके पास उपलब्ध या संभावित रोजगार अवसरों की सूचना हो। इसमें आगे कहा गया है कि रोजगार कार्यालय संगठन प्रबंधकों और रोजगार चाहने वालों को लाभ पहुंचाएगा और उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में जनशक्ति का संतोषजनक वितरण भी करेगा। इससे, एक स्थान के कर्मचारियों के व्यावसायिक और औद्योगिक गतिशीलता आएगी और विविध श्रेणियों के कर्मचारियों की आपूर्ति में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी।

आज के अधिवेशन में हड़तालों, तालाबंदी काम से हटाए जाने वाले कर्मचारियों को मुआवजे से उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रणों के अतिरिक्त दो अन्य मुद्दों पर विचार किया गया। इनमें पहला प्रश्न कल के लिए स्थगित कर दिया गया और दूसरे के बारे में सम्मेलन में सहमति नहीं हो पायी।

न्यूनतम वेतन

जब सम्मेलन के सातवें अधिवेशन की समापन बैठक 28 नवंबर को हुई तो माननीय डाक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की कि मालिकों और श्रमिकों के दो-दो प्रतिनिधि शामिल करके एक समिति बनाई जाएगी जो न्यूनतम वेतन के विषय में कानून का प्रारूप तैयार करेगी और भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में संशोधन का प्रारूप बनाएगी।

हालांकि इन दोनों उपायों के बारे में सिद्धांतों पर सहमति हो गई, किंतु विचार-विमर्श के दौरान विविध विचार प्रकट किए गए। सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा इन दोनों उपायों के महत्व पर जोर देने से, समिति के गठन से इन पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी।

सम्मेलन में औद्योगिक मामलों पर स्थाई व्यवस्था करने पर हड़ताल तथा तालाबंदी के दौरान रोजगार दफ्तरों की संभावित भूमिका पर सर्वसम्मति थी। इस पर सहमति थी कि हड़तालों और तालाबंदी के समय ये दफ्तर रिक्तियों को स्वीकार कर लें और पात्र उम्मीदवारों को श्रम-विवाद के बारे में सूचित करें। वे कर्मचारियों के नाम दर्ज करें और उन्हें दूसरी नौकरियों के लिए भेजें और संभावित प्रबंधकों को बताएं कि ये लोग श्रम-विवाद के कारण बेरोजगार हुए हैं।

साभार - बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-18
पृष्ठ सं. 268 से 275
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

लोक सेवाएं, 1-सेवाओं का पुनर्गठन

119. सेवाओं का विभाजनः भारत में लोक सेवा का वर्तमान गठन एचीसन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार हुआ। इस कमीशन ने 1886-87 में भारतीय लोक सेवा की जांच पड़ताल की। कमीशन की नियुक्ति से पूर्व उच्च दायित्वों और उपलब्धियों वाले पद अधिकांशतः यूरोप के रंगरूटों से भरे जाते थे। कमीशन से स्पष्टतः कहा गया कि वह ऐसे उपायों का सुझाव दे, जिनके द्वारा लोक सेवा में तथा व्यापक सेवा नियोजन के लिए भारतवासियों के दावों के साथ पूर्ण न्याय हो सके। आयोग का विचार था कि सिविल सेवा में केवल कुलीन-वर्ग ही होना चाहिए। अतः उसने सिफारिश की इंग्लैंड में अधिकारियों की भरती काफी कम कर दी जाए और इस प्रकार जो उच्च नियुक्तियां बच जाएं, उन्हें भारत में भारत से ही भरती किए जाने वाले लोगों की सेवा को सौंप दिया जाए। इन सिफारिशों के फलस्वरूप इंग्लैंड में भरती किए गए अधिकारियों से शाही सेवाओं का गठन हुआ और भारत से भरती किए गए अधिकारियों से प्रांतीय सेवाओं का गठन। वेतन, अवकाश और पेंशन के संबंध में दोनों सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें स्वतंत्र आधार पर निश्चित होती थीं और उनका एक-दूसरे से संबंधित होना जरूरी नहीं था। देश की अधिकांश सिविल सेवाओं में शाही और प्रांतीय का विभाजन हुआ है। उसके विस्तार में जाना बेकार है। जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, वह यह है कि यह विभाजन इसलिए किया गया कि इंग्लैण्ड में भरती किए गए अधिकारियों के बीच स्पष्ट भेद किया जा सके। जैसा कि विवरण से दिख सकता है, यह विभाजन इसलिए नहीं किया गया था कि अखिल भारतीय सेवा के लिए सक्षम तथा भारत सरकार के अधीन रखे जाने वाले अधिकारियों का स्पष्ट भेद उन अधिकारियों से किया जाए जो स्थानीय सरकारों के अधीन रखे जाएं और केवल विशिष्ट प्रांतों में ही सेवा कर सकें। उदाहरण के तौर पर टेलीग्राफ (इंजीनियरिंग) तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग में प्रांतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, वे सीधे भारत सरकार के अधीन हैं और वे किसी प्रांत विशेष तक सीमित नहीं रहते, जबकि शिक्षा और पुलिस विभागों में शाही सेवा के अधिकारी विभिन्न प्रांतों को आवंटित कर दिए जाते हैं। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब प्रत्येक प्रांत स्वतंत्र रूप से अपनी प्रशासनिक सेवाओं का गठन करे। इसके लिए सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप समाप्त करना ही होगा। केन्द्रयी सरकार की अपनी जरूरतों के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा में भरती की जाए और उसकी देखभाल की जाए। यह सेवा उन विभिन्न विभागों को चलाए, जिन्हें भारत सरकार उसे सौंपे पर उसके सदस्यों पर यह दायित्व न थोपा जाए कि वे किसी प्रांतीय सरकार की सेवा करेंगे। इसी प्रकार हर प्रांतीय सरकार केवल अपने उपयोग के लिए अपनी जरूरतों के अनुसार एक प्रांतीय सिविल सेवा का गठन और उसकी देखभाल करें। इस सिफारिश से मौजूदा प्रणाली में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि भले ही शाही सेवा और प्रांतीय सेवा के अधिकारी भारत के किसी भी भाग में सेवा कर सकते हैं, पर उनका अखिल भारतीय स्वरूप नाममात्र का है। ऐसे मामले बहुत कम है, जब चाहे शाही सेवा हो या प्रांतीय सेवा, सिविल सेवा के किसी अधिकारी को उस प्रांत से बाहर सेवा करने के लिए बुलाया गया हो, जिसमें उनकी मूल रूप से नियुक्ति की गई हो। आम तौर से उनमें से लगभग सभी उसी प्रांत में अंत तक काम करते रहें, जहां शुरू में उनकी नियुक्ति हुई थी। जब स्थिति ऐसी है, तो जिस सुधार का सुझाव मैंने दिया है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह केवल मौजूदा तथ्यों को मान्यता देगा।

120. सिविल सेवा के गठन ने इस सुधार पर जो बल मैं दे रहा हूं, उसके कई आधार है। सर्वप्रथम तो सेवाओं का ऐसा विभाजन कि जो इस अर्थ में केन्द्रीय है कि वे भारत सरकार की सेवा करें और जो इस अर्थ में प्रांतीय है कि वे प्रांतीय सरकार की सेवा करें, उसका एक भारी लाभ यह है कि यह एक ऐसा सुधार है जिसकी खास जरूरत है और उसे प्रांतीय सरकार के स्वरूप में परिवर्तन करके करना होगा। यदि मौजूदा प्रणाली चलती रही तो मंत्रिगण अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकेंगे। इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 98 (ख) के अनुसार भारत के लोक सेवक अपना पद सम्राट के प्रसाद पर्यन्त धारण करते हैं। लेकिन यह याद रखना होगा कि अधिनियम मंत्रियों को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं देता कि कब महामहिम अपने प्रासाद से उसे पद से अलग करें। यद्यपि यह अधिकार उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी को दिया गया है, फिर भी बर्खास्त किए गए अधिकारी को अधिकार है कि वह भारत मंत्री से अपील करे। केवल यही बात नहीं है कि मंत्री को अधिकारी को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह भी है कि दंड मुक्ति के कारण वह उसे दंडित भी नहीं कर सकता। क्योंकि कानून में यह व्यवस्था है कि यदि सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी सोचता है कि गवर्नर के प्रांत में किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपने आदेश से उसके साथ अन्याय किया है तो उसे अधिकार है कि वह गवर्नर से शिकायत करे और गवर्नर कानून के अधीन और साथ ही अनुदेश-पत्र के अनुसार उसकी जांच कराने को बाध्य है और उसे ऐसे आदेश देने होंगे, जो उसे न्यायसंगत और निष्पक्ष दीख पड़े। इन प्रावधानों के कारण कोई भी मंत्री चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिविल सेवा के उस हठधर्मी अधिकारी के समक्ष विवश हो जाएगा, जो उस नीति का पालन न करे, जिसके लिए मंत्री विधायिका की इच्छानुसार उसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्री पद का दायित्व अपेक्षा करता है कि मंत्री को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने अधीन गलत कार्य करने वाले अधिकारी से कारगर ढंग से निपट सके। उसे यह फैसला करने का अधिकार होना ही चाहिए कि कितने अधिकारी उसके पास हों और किस अधिकारी को किस पद पर वह नियुक्ति करे। मौजूदा प्रावधान उसे वे अधिकार नहीं देते, जिनकी उसे सख्त जरूरत पड़ेगी ही। इस विसंगति को ली आयोग ने पहचाना जिसका गठन सुधार लागू करने के तुरंत बाद किया गया था। उस आयोग ने सिफारिश की कि हस्तांतरित विभागों में अखिल भारतीय स्तर पर और आगे नियुक्तियां न की जाएं और भविष्य में उनके लिए वांछित अधिकारियों की भरती और नियुक्ति प्रांतीय सरकारें करें। इस सिफारिश के अनुसार प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन अधिकारियों की भरती के लिए नियम तैयार करें जो हस्तांतरित विभाग में स्थान रिक्त होने पर उस विभाग में काम करने वाले इन सेवाओं के वर्तमान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का स्थान लेंगे। मेरा सुझाव उसी सिद्धान्त का विस्तार मात्र है, जिसकी आवश्यकता को अधिकारी स्वीकार करने के लिए विवश हैं। इस विस्तार में अब विलम्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पूर्णतः उत्तरदायी शासन प्रणाली में 'आरक्षित' और हस्तांरित' के बीच का भेद समाप्त करना होगा।

121. पृथक और स्वतंत्र प्रांतीय सिविल सेवा का एक दूसरा लाभ यह होगा कि प्रांतीय सरकारों को यह छूट होगी कि वे प्रांत की सेवाओं के काडर में फेरबदल कर सकें। अखिल भारतीय प्रणाली की कमी यह है कि यदि कोई मंत्री संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे उनके फालतू पद हैं जिन पर सामान्यता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी डटे हुए हैं और उनमें से अधिकांश पदों के कर्तव्यों का पालन प्रांतीय सेवाओं के अधिक अल्प वेतन भोगी अधिकारी कर सकते हैं और अस्थायी रिक्त स्थानों पर इस कर्तव्य का दक्षता से पालन उन्होंने किया भी है, अतः ऐसे पद को समाप्त कर दिया जाए या उसे प्रांतीय सेवा के काडर को सौंप दिया जाए, तो मंत्री स्वयं को ऐसा करने में असमर्थ पाता है, क्योंकि कानून के अधीन उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वह अधिक से अधिक यह कर सकता है कि उन्हें खाली पड़ा रहने दे या प्रांतीय सेवा के किसी अधिकारी को लम्बे समय तक उस पर कार्य करने दे। परंतु इस मामले में भी उसके अधिकार सीमित हैं, क्योंकि इन नियमों के अनुसार उसे कुछ नियत महीनों के पश्चात भारत मंत्री से अनुमति लेनी होगी। सेवाओं के अखिल भारतीय गठन से उत्पन्न यह एक अति गंभीर बाधा इस दृष्टि से है कि वह बचत के उन लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है जिनके लिए 'संशोधित परिषद' अपने गठन काल से ही दुहाई देती रही है।

122. स्वतंत्र प्रांतीय सिविल सेवा प्रणाली के केवल यही लाभ नहीं हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप वेतन, अवकाश भत्तों, पदोन्नतियों और पेंशनों से सम्बद्ध सेवा की शर्तों में प्रातों पर एकरूपता थोपता है। मेरा कहना है कि इस एकरूपता से अपेक्षाकृत कम सम्पन्न प्रांतों के संसाधनों पर भारी पड़ेगा ही। उन्हें सेवा के लिए अपनी उचित क्षमता के बाहर भुगतान करना पड़ता है। ना ही यह कहा जा सकता है कि हर प्रांत में समान जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन स्तर आवश्यक है। कौन नहीं जानता कि स्थानीय परिस्थितियों में अंतर होने के कारण दो अलग-अलग प्रांतों में नितांत अलग-अलग वेतन के समान स्तर की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। यदि ऐसा है तो इसका कारण कोई नहीं कि वेतनों में समानता रखी जाए जबकि वह बेझिल भी हो और असंगत भी।

123. सेवा की शर्तों में एकरूपता की आवश्यकता का जन्म भी सिविल सेवा के अखिल भारतीय स्वरूप से हुआ है। और यह तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक सेवा का वह स्वरूप बना रहता है। स्वतंत्र प्रांतीय सिविल सेवा का गठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब कि इसके गठन से प्रशासन के खर्च में कमी आ सकती है और प्रांतों को अपना कामकाज करने की पूरी आजादी मिल सकती है। निश्चय ही इसका अर्थ यह है कि लोक सेवा के लिए भरती के मामले में प्रांतीय सरकारों की तुलना में भारत मंत्री की हैसियत मे आमूल परिवर्तन होना ही चाहिए। इसके स्थान पर कि भारत मंत्री मुख्य नियोजक हो और अपने प्रांतों के कार्य के लिए जरूरी अधिकारियों की मांग प्रांतीय सरकार उससे करे, होना यह चाहिए कि भारत मंत्री उन मामलों में जिनमें इंग्लैंड में भरती जरूरी हो, केवल सम्बद्ध विशेष प्रांतों के एजेन्ट के रूप में कार्य करें। उसके लिए शर्तें प्रांतीय सरकार तय करे, न कि स्वयं वह करे। अतः प्रांतों को तुरंत अब ऐसा अधिकारी नहीं रखना चाहिए, जो उन व्यक्तियों की सेवा का उपयोग करता हो, जिन्हें भारत मंत्री उन्हें देता हो या उनके लिए खोजता हों। जब तक ऐसी प्रणाली जारी रहती है, तब तक भारत मंत्री भारत सरकार अधिनियम की धारा 96 ख के अधीन प्राप्त अधिकारों का उपयोग करता ही रहेगा। सिविल सेवा पर भारत मंत्री के अधिकारों का शिंकजा बने रहने का घोर विरोध मंत्रियों ने इस आधार पर किया है। उनके रहते उत्तरदायी सरकार

की स्थापना हो ही नहीं सकती। आलोचना बिल्कुल ठीक है। परन्तु जो ऐसी आलोचना करते हैं, शायद वे यह नहीं जानते कि ये अधिकार तभी समाप्त किए जा सकते हैं, जब भारत मंत्री भरती अधिकारी नहीं रहेगा।

124. यदि सेवाओं के विभाजन का यह सुधार अमल में लाया जाए तो मैं सुझाव देता हूं कि प्रांतीय सिविल सेवा का इस प्रकार वर्गीकरण किया जाए :

उच्च सेवा	अधीनस्थ सेवा	लिपिकीय सेवा	चतुर्थ श्रेणी (मीनियम) सेवा
वर्तमान आई.सी.एस. और शाही सेवाओं के समकक्ष प्रथम श्रेणी	वर्तमान प्रांतीय सेवाओं के समकक्ष द्वितीय श्रेणी		

125. प्रांतीय सिविल सेवा में भरती के लिए एजेंसी : जब भारत मंत्री के पास प्रांतीय सिविल सेवा की भरती का काम नहीं रहेगा, तो भरती से संबंधित मामलों का प्रभार किस एजेंसी पर होगा, यह अगला विचारणीय प्रश्न है। मैं स्वीकार करता हूं कि सिविल सेवा ऐसी हो कि वह राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टचार के दुष्प्रभावों से मुक्त हो। अतः उसकी भरती और नियंत्रण का काम ऐसे प्राधिकरण के पास हो जिस पर मंत्रियों का नियंत्रण न हो। लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं कि इस प्रकार के कार्यभार के लिए प्रांतीय सिविल सेवा कमीशन का गठन किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से ही यह प्रस्ताव बहुत भारी भरकम लगता है। मैं इस सुझाव से सहमत हू कि सेवा संबंधी मामलों पर खास तौर पर विचार के लिए हर प्रांत में एक पूर्णकालिक अधिकारी होना चाहिए। वह लोक सेवा आयोग और स्थानीय सरकार के बीच सम्पर्क अधिकारी का कार्य करें।

2. सेवाओं का भारतीयकरण

126. (I) भारतीयों की भरती : भारतीय के तर्क को इलिंगटन आयोग ने 1915 में स्वीकार कर लिया था। सुधारों की सफलता के साथ इसके संबंधों पर संयुक्त प्रतिवेदन तैयार करने वालों ने बल दिया और विभिन्न सेवाओं में भारतीयों और यूरोपीयों के बीच अनुपात का निर्धारण 'ली' आयोग ने किया और उसे कार्य रूप दिया। इसलिए भारतीयकरण के मामले पर नए सिरे से तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह बताना जरूरी है कि इलिंगटन आयोग और 'ली' आयोग के गठन के अंतराल में इस प्रश्न पर दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। इलिंगटन आयोग के सामने प्रश्न यह था, "लोक सेवाओं में कितने भारतीयों को भरती किया जाए?" ली आयोग के सामने प्रश्न था कि कम से कम कितने अंग्रेजों को अब भी भरती करना ही होगा? मुझे खुशी है कि ली आयोग ने इस नए दृष्टिकोण को पूर्ण मान्यता दी। अब जरूरी यह है कि भारतीयों तथा यूरोपीयों के अनुपात को निश्चित करने के लिए ली आयोग ने जो सिद्धान्त अपनाए थे, उनमें जरूरी परिवर्तन किए जाएं ताकि भारतीयकरण की गति को तेज किया जा सके। मेरे विचार में अनुपात को तय करने के लिए मापदंड यह होना चाहिए कि एक विभाग हो और उसे चलाने के लिए मेधावी तथा योग्य भारतीय हों। यदि इन मापदंडों को अपनाना है तो कानून और व्यवस्था, वन-विभाग और अन्य तकनीकी विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों में भारतीयों में पक्ष में ली आयोग द्वारा निर्धारित अनुपात को बदलना होगा।

127 (II) भारतीयों को भुगतान : मैं भारतीयकरण पर मात्र इसलिए बल नहीं देता हूं कि उसके अपने गुण है, बल्कि इसलिए भी कि प्रांत की वित्त व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। क्योंकि मुझे आशा है कि भारतीयकरण प्रशासन को किफायती बना सकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई औचित्य नजर नहीं आता कि क्यों अखिल भारतीय सेवा की सदस्यता के नाते यह जरूरी हो कि भारतीयों और यूरोपीयों के वेतनों में समानता हो। गुण-अवगुण की दृष्टि से प्रश्न पर विचार करने के बाद मुझे विश्वास हो चला है कि लोक सेवकों के दोनों वर्गों के लिए एक-सा पारिश्रामिक (तर्कसंगत) रखने में कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है। एक वर्ग उन लोक सेवकों का है, जो अपने देश से हजारों मील दूर देश में भेजे गए हैं, जहां वे समझते है कि वे अपने बच्चों की सही शिक्षा-दीक्षा नहीं कर सकते या अपनी सेहत ठीक नहीं रख सकते। हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें विवश होकर निर्विवाद रूप से जीवन यापन के ऊंचे स्तर पर दोहरी गृहस्थी जमानी पड़ती है। ये मजबूरियां उन लोक सेवकों की नहीं हैं, जो भारत में ही रहते हैं। अपने यूरोपीय साथियों के विपरीत वे अपने ही देश में काम करते हैं। वे दोहरी गृहस्थी जमानी पड़ती है। ये मजबूरियां उन लोक सवेकों की नहीं है, जो भारत में ही रहते हैं। अपने यूरोपीय साथियों के विपरीत वे अपने ही देश में काम करते हैं। वे दोहरी गृहस्थी जमाने के चक्कर से मुक्त हैं। जलवायु के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वे अपेक्षाकृत निम्न जीवन-स्तर के आदी हैं जाहिर है कि अपने यूरोपीय साथियों की अपेक्षा उन पर विनिमयन कम है। यदि उनके सेवा कार्य से जुड़े व्यक्तिगत जोखिम और त्याग के इस अंतर को स्वीकार कर लिया जाए, तो मेरे विचार में उन्हें समान आधार पर भुगतान किए जाने का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है। वास्तव में यदि दोनों वर्गों की संपूर्ण स्थिति देखी जाए, तो एक बात निश्चित है कि यदि यूरोपीय अधिकारियों का मौजूदा वेतन पर्याप्त है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा भुगतान हो रहा है। यदि धारणा यह है कि भारतीय अधिकारियों को आवश्यकता से अधिक नहीं मिल रहा है, तो उसक अर्थ है कि यूरोपीयों को कम वेतन मिलता है। किसी भी दृष्टि से सोचा जाए तो भारतीय और यूरोपीय अधिकारियों को समान वेतन देने की वर्तमान प्रथा अति असंतोषजनक स्थिति पैदा करती है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि समान भुगतान की मौजूदा प्रणाली में यूरोपीयों को चाहे पर्याप्त भुगतान होता हो या न होता हो, पर उनके भारतीय साथी निश्चित रूप से आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। अपने इसी दृष्टिकोंण के अनुसार मैं चाहता हूं कि भारत के आदिवासी अधिकारियों का वेतनमान घटाया जाए। मुझे यकीन है कि वह हर भारतीय इस तर्क से सहमत होगा, जो इस बात की हड़ताल करेगा कि विभिन्न प्रांतीय सरकारों की वित्तीय स्थिति क्या है और लोक सेवकों की उपलब्धियों के भुगतान पर होने वाले खर्च के उच्च अनुपात के कारण उनमें से हरेक को गंभीर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मुझे पता है कि कुछ भारतीय ऐसे हैं, जो वेतनों की असमानता के सिद्धान्त पर आपत्ति करते हैं, परन्तु यह ध्यान रखा जाए कि ये आपत्तियां उन भारतीयों की ओर से उठाई जाती है, जिनमें से अधिकतर लोग सिविल सेवा के लिए भरती किए जाते हैं और जो देश के नेता होने का दम भरते हैं। उनका तर्क घृणित, ओड और थोथा है। वह निस्सार है, क्योंकि वह आवश्यक नहीं कि वेतन में असमानता के कारण दर्जे में असमानता आ ही जाए। यह मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ निहित है। मैं भारतीयकरण के पक्ष में मुख्यतः इसलिए हूं कि इससे अर्थ व्यवस्था का भविष्य बहुत कुछ सुधरेगा।

128. (III) भारतीयकरण और पिछड़े वर्गों के दावे: यह सर्वविदित है कि देश की लोक सेवाएं जहां तक कि उनके द्वार भारतीयों के लिए खुले हैं, विभिन्न परिस्थितियों के कारण ब्राह्मणों तथा उनसे जुड़ी जातियों के लिए सुरक्षित शिकारगाह बन गई हैं। गैर-ब्राह्मण, दलित वर्ग और मुसलमान वस्तुतः उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। लोक सेवाओं में अपना समुचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए वे तीव्र आन्दोलन चला रहे हैं। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए वे चयन द्वारा नियुक्ति की प्रणाली को खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति से बेहतर समझते हैं। ब्राह्मण और उनसे जुड़ी जातियां उसका जारे-शोर से विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि राज्य के हित में वह वांछनीय है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में दक्षता एकमात्र मापदंड होनी चाहिए और जाति अथवा नस्ल को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यह मानकर कि शिक्षा संबंधी योग्यता ही एकमात्र मापदंड है, जिससे दक्षता मापी जा सके, वे आग्रह करते हैं कि सार्वजनिक पदों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही भरा जाए। कहा जाता है कि ऐसी प्रणाली दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करती है और लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाती। प्रतियोगी परीक्षाएं सभी जातियों तथा नस्लों के लिए खुली हैं। यदि इन जातियों का कोई उम्मीदवार वांछित कसौटी पूरी करता है, तो वह भी परीक्षा में बैठ सकता है।

129. इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रश्न पर ब्राह्मणों और उनसे जुड़ी जातियों के रवैए में निष्पक्षता का आभास है। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली सभी जातियों और नस्लों के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में निष्पक्ष सिद्ध हो सकती है। परन्तु उन परिस्थितियों की पूर्व अपेक्षा है कि सरकार की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त लोकतांत्रिक हो और शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त रूप से व्यापक हो और उन सभी वर्गों को पर्याप्त रूप से सुलभ हों, जिनमें से लोक सेवा के लिए अच्छे उम्मीदवार प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा निश्चित है कि खुली प्रतियोगिता की प्रणाली के बावजूद बहुत सारे वर्ग इसकी परिधि से बाहर रह जाएंगे। जाहिर है कि भारत में यह बुनियादी परिस्थिति है ही नहीं। अतः पिछड़े वर्गों से यह कहना कि वे लोक सेवाओं में प्रवेश के साधन के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों पर भरोसा करें, उनके साथ छल करना है और यह नितांत उचित है कि पिछड़े वर्गों ने छले जाने से इंकार कर दिया है।

130. यदि हम यह मानकर चलें कि पिछड़े वर्ग खुली प्रतियोगिता के सहारे लोक सेवाओं में प्रवेश नहीं कर सकते तो विचार के लिए पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या पिछड़े वर्गों को किसी रियायत की जरूरत है। जब तक वे अपने पक्ष का भली भांति प्रतिपादन नहीं करते, तब तक वे भरती के मान्य सिद्धान्तों में विशुद्ध दक्षता के अलावा अन्य किसी आधार पर संशोधन की आशा नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछड़े वर्गों के दावे में दम है।

131. सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोक सेवाओं में भरती के लिए सिर्फ दक्षता पर बल देते हैं, उन्हें इस बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं दीख पड़ता कि आधुनिक काल में प्रशासन का क्षेत्र क्या है? उन्हें तो बस यही लगता है कि प्रशासन तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करनेकी प्रक्रिया भर है। इसमें संदेह नहीं है कि वह प्रशासन-क्षेत्र और महत्व के बारे में अति अधूरी अवधारणा है। आधुनिक काल में प्रशासन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि राज्य के विनियमों की जानकारी के लिए कानूनों की छानबीन की जाए, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक है। अक्सर समय के तकाजे पर यह सुविधा के लिए किसी सरकारी विभाग को आजकल नियम-रचना के व्यापक अधिकार सौंपे जाते हैं, ताकि वह किसी खास कानून का पालन करा सके। ऐसी स्थितियों में यह स्पष्ट है कि प्रशासन का अर्थ केवल कानून लागू करना ही नहीं है। उसका काम ऐसे नियम बनाना भी है, जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त हो। वह उनका पालन भी कराता है। प्रत्यायोजन द्वारा विधायन की यह प्रणाली सभी आधुनिक सरकारों की अति सामान्य प्रथा बन गई है और आशा है कि आने वाले वर्षों में वह और पनपेगी। इसे निर्विवाद रूप से स्वीकार करना ही होगा कि जनता के विशाल वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित नियम-निर्माण के ऐसे व्यापक अधिकार निरापद रूप से ऐसे प्रशासकों के हाथों में नहीं सौंपे जा सकते, जो किसी

वर्ग विशेष के हैं। वस्तुतः इस वर्ग के उद्देश्य और हित शेष जनवर्ग से भिन्न हैं। यह वर्ग विशेष अन्य वर्गों में व्याप्त चेतन शक्तियों से हमदर्दी नहीं रखता, उनकी जरूरतों, दुखदर्द और इच्छाओं को नहीं समझता, उनकी आकांक्षाओं के प्रति वैर–भाव रखता है। उसका सीधा सा कारण है कि उसे शिक्षा की कसौटी के आधार पर श्रेष्ठ ठहराया जाता है।

132. लेकिन यदि यह मान भी लें कि प्रशासन केवल विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की प्रक्रिया भर है, फिर भी इससे पिछड़ी जातियों का पक्ष तनिक भी निर्बल नहीं होता। क्योंकि जो अधिकारी एक जाति विशेष से आते हैं और जिन्हें लोक–कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा से जातीय प्रतिष्ठा अधिक प्यारी होती है, वे अपनी जाति के हित–सवंर्धन के लिए अपने पदों का सहज ही दुरूपयोग कर सकते हैं। वे आम जनता का हित नहीं देखते। मामलातदार के सामान्य उदाहरण को ही लें, जो काश्तकारी के लिए सरकारी जमीनों को पट्टे पर देने के कानून को लागू करता है। इसमें संदेह नहीं कि वह केवल कानून को लागू करता है, परन्तु उसे लागू करते समय वह अपनी रूचि के अनुसार पट्टेदारों का चयन कर सकता है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह पट्टेदारों के विरूद्ध ऐसे आधारों पर निर्णय कर ले, जो वास्तव में तो सांप्रदायिक हों पर देखने में असांप्रदायिक हों। जनगणना के प्रभारी अधिकारी के एक अन्य उदाहरण को लें। वह विभिन्न जातियों की नामावली और उनकी सामाजिक स्थिति के प्रश्नों का निर्णय करता है। इस विभाग का प्रभारी अधिकारी एक जाति विशेष का होने के कारण अपने प्रशासन के दौरान प्रतियोगी जाति के साथ अन्याय कर सकता है और संभवतः वह उसे उचित नाम व दर्जा न दे। मुख्यतः नस्ल व जाति के आधार पर पक्षपात आम बात है, भले ही बहाने के रूप में कोई अन्य सत्य आभासी आधार खोज लिया जाता है। लेकिन मैं मद्रास प्रेसिडेंसी के विश्वकर्माओं का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने 1924 में सुधार जांच समिति को एक पत्र लिखा था। उसमें उसका वर्णन है। उसमें शिकायत की गई थी, "मद्रास कार्यकारी परिषद के एक ब्राह्मण सदस्य तब श्री पी. शिवास्वामी अय्यर ने जब वह विधि विभाग के प्रभारी थे, एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें विश्वकर्मा नाम के साथ आचार्य लिखते हैं और इसके स्थान पर "आस्त्री" लगाने का आदेश दिया, जिसका मतलब है सरे आम घृणास्पद संबोधन। यद्यपि विधि–सदस्य के इस आदेश को उचित ठहराने की न तो आवश्यकता थी और न ही प्राधिकार था, फिर भी विधि विभाग ने सरकारी आदेश प्रकाशित करा दिया जैसे कि वह वर्तनी अशुद्धि समिति की सिफारिश हो। दुर्भाग्य की बात है कि समिति के अधिकांश गैर–सरकारी सदस्य ब्राह्मण जाति के थे। उन्होंने अपनी साथी जातियों का सम्मान करना तो कभी सीखा ही नहीं था। न ही कभी उन्होंने हमें निर्णय के आधार से सूचित किया। यह तो अंधेरे में छुरा भौंकना हुआ।

133. यह अवश्यंभावी है। निश्चय ही जाति राज का अर्थ है, जाति–हित और जाति–विद्वेष के आधार पर राज करना। यदि ऐसे ही परिणाम निकलेंगे, तो हर ईमानदार व्यक्ति के मन में यह सवाल उठेगा कि क्या दक्ष प्रशासन ने हमें उत्तम प्रशासन भी प्रदान किया है, यदि नहीं तो उपाय क्या हैं? मेरा विचार है कि ब्राह्मण तथा संबद्ध जातियों के अधिकारियों के वर्ग–पक्षपात से उपजे अलाभों का पलड़ा उनकी दक्षता से उपजे समूचे लाभों के पलड़े से भारी है। कुल मिलाकर उन्होंने लाभ से ज्यादा हानि पहुंचाई है। इसके बारे में मेरे विचार से एक उपाय यह है कि लोक सेवा में विभिन्न जातियों के लोगों का समुचित सम्मिश्रण हो। इससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत अदक्षता आए। परन्तु इससे वर्ग पक्षपात का दोष दूर करने का अति उपयोगी उपाय मिल जाएगा। देश में इस समय जो सामाजिक संघर्ष चल रहे हैं, उनके संदर्भ में यह और भी आवश्यक है। ब्राह्मणों और गैर–ब्राह्मणों, हिन्दुओं और मुसलमानों तथा स्पृश्यों, अस्पृश्यों के बीच सभी असमानताएं मिटाने और समानता लाने के जो कटुता संघर्षपूर्ण चल रहे हैं उससे न तो जज अछूते रहेंगे और न ही मजिस्ट्रेट, सिविल सेवक और न पुलिस अधिकारी। संघर्षरत जातियों के लोग होने के कारण उनमें पक्षपात आना अनिवार्य है। नतीजा यह होगा कि अपने सेवकों के प्रति जनता के विश्वास को गहरा आघात लग सकता है।

134. अभी तक मैंने पिछड़ी जातियों के मामले पर प्रशासनिक उपयोगिता के आधार पर विचार किया है। परन्तु ऐसे नैतिक आधार भी हैं जिनके कारण लोक सेवा में उनका प्रवेश कराया जाए। किसी व्यक्ति को लोक सेवा से अलग रखने के नैतिक दोष को जितने प्रभावशाली ढंग से स्वर्गीय श्री गोखले ने उठाया है, उतना किसी और ने नहीं। एक जोरदार भाषण में उन्होंने कहा, "लेकिन विदेशी एजेंसी का एकमात्र दोष यह नहीं है कि वह अति मंहगी है। एक प्रकार का नैतिक दोष उससे भी बड़ा है। वर्तमान प्रणाली के अधीन 'भारतीय' जाति को बौना और नगण्य बनाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमें रोजाना हीनता के वातावरण में रहना पड़ता है और हममें से जो सबसे ऊंचे हैं, उन्हें भी इतना झुकना पड़ता है कि मौजूदा प्रणाली का पेट भरता रहे। ऊपर उठने की भावना, यदि मैं इस अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकूं, जिसे ईटन अथवा हैरो का हर छात्र अनुभव कर सकता है कि किसी दिन वह ग्लैडस्टोन, नेल्सन अथवा वैलिंगटन बन सकता है और जिससे वह अपनी दक्षता के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास की प्रेरणा ले सकता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। मौजूदा प्रणाली के अधीन हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कभी हो ही नहीं सकता। नैतिक उत्थान की जिस भावना का हर स्वाधीन जाति अनुभव करती है, उसे हम अनुभव कर सकते। केवल उपयोग में न आने के कारण हमारी प्रशासनिक तथा सैन्य प्रतिभा धीरे–धीरे लुप्त होती ही चली जाएगी। अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब हम केवल लकड़हारे और कहार भर रह जाएंगे।" जो लोग लोक सेवा में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के पक्ष के औचित्य को अस्वीकार करते हैं, उनसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या पिछड़े वर्ग ब्राह्मणों तथा सम्बद्ध जातियों पर वैसा ही आरोप नहीं लगा सकते जैसा कि स्वर्गीय श्री गोखले ने भारतीयों की ओर से विदेशी एजेंसी पर लगाया था? क्या दलित वर्ग, गैर–ब्राह्मण और मुसलमान यह नहीं कह सकते कि लोक सेवा से उन्हें अलग रख कर उनके समुदायों को बौना और नगण्य बनाया जा रहा है? क्या वे यह शिकायत नहीं कर सकते कि बहिष्कार के कारण उन्हें रोजाना हीनता के वातावरण में रहना पड़ता है और उनमें से सबसे ऊंचे को भी इतना झुकना पड़ता है कि वे मौजूदा प्रणाली का पेट भरते रहें। क्या वे छाती ठोक कर नहीं रह सकते कि ऊपर उठने की जिन भावनाओं को ब्राह्मण जाति का हर स्कूली छात्र अनुभव करता है कि एक दिन वह सिन्हा, शास्त्री, रानाडे अथवा परांजपे बन सकता है और जिनसे वह अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास की प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, उनसे उन्हें वंचित किया गया है। क्या वे क्षोभ से यह नहीं कर सकते कि मौजूदा प्रणाली के अधीन उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कभी हो ही नहीं सकता। क्या वे यह रोना नहीं रो सकते कि नैतिक उत्थान की जिस भावना को हर स्वाशासी जाति अनुभव कराती है, उसे वे अनुभव नहीं कर सकते? क्या वे नहीं कह सकते कि केवल निराशा और कुंठा के कारण उनकी प्रशासन–प्रतिभा धीरे–धीरे समाप्त होती ही चली जाएगी और अंततः वे अपने ही देश में लकड़हारे और कहार बन कर ही रह जाएंगे? इन सवालों का केवल एक ही जवाब है। हां, वे ऐसा कह सकते हैं। उन्नत जातियों को देश की लोक सेवा में प्रवेश से वंचित रखना नैतिक दोष है, तो पिछड़ी जातियों को उसी क्षेत्र से वंचित रखना भी तो नैतिक दोष ही होगा। यह वह नैतिक दोष है तो उसे दूर किया भी जाना चाहिए।

135. यही कारण है कि मुझे पिछड़ी जातियों का पक्ष लेना पड़ा। यह ध्यान रखने की बात है कि ये भी वैसे ही कारण हैं जैसे कि भारतीयकरण के पक्ष में बताए गए हैं। यह भी याद रखना होगा कि भारतीयकरण का पक्ष भी दक्षता पर आधारित नहीं है। वह उस प्रशासन की बैसाखी पर टिका है। इस बात को चुनौती नहीं दी गई है कि दक्ष प्रशासक के लिए जो गुण जरूरी हैं, उनकी दृष्टि से भारतीय यूरोपीय से घटिया है। इस बात से इंकार नहीं किया गया कि यूरोपीय नौकरशाहों ने हमारी सड़कें सुधारीं, अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर हमारी नहरें बनाई, रेल यातायात शुरू किया, अति सस्ती डाक–व्यवस्था को जन्म दिया, विद्युतगति से संदेश भेजे जाने लगे, मुद्रा में सुधार किया, माप–तौल को विनियमित किया, भूगोल, नक्षत्र विज्ञान और आयुर्विज्ञान संबंधी धारणाएं बदलीं और हमारे आंतरिक झगड़ों को रोका। इस तथ्य का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि यूरोपीय नौकरशाही यथासंभव सर्वाधित दक्ष प्रशासन प्रणाली है। हालांकि यूरोपीय नौकरशाही दक्ष थी, उसकी फिर भी निंदा की गई, क्योंकि उसमें वे गुण नहीं थे, जो मानवीय प्रशासन में होने चाहिए। अतः वह कुछ आश्चर्य की ही बात है कि जो भारतीयकरण की दुहाई देते थे, वे ही उसकी धारा पिछड़ी जातियों की ओर मोड़ने का विरोध करते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारतीयकरण के पक्ष में पिछड़े वर्गों का पक्ष भी शामिल है। जो भी हो, जितना महत्व मैं प्रांत की स्वायत्तता या प्रांतीय कार्यपालिका के लिए पूर्ण दायित्व को देता हूं, उससे कहीं अधिक महत्व मैं इस बात को देता हूं। मैं इतने विशाल अधिकारों को सौंपे जाने के पक्ष में नहीं हूं, यदि मैं यह अनुभव करता हूं कि ये अधिकार एक खास वर्ण को सौंपे जा रहे हैं और दूसरे वर्ण को इनसे दूर रखा जा रहा है। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि मेरी सिफारिशों पर अपल के लिए निम्न कदम उठाए जाएं :

(1) प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी की उच्च सेवाओं में और अधीनस्थ सेवाओं में भी कतिपय रिक्त स्थान परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र देखकर मनोनयन प्रणाली से भरे जाएं। ये मनोनीत पद एक चयन समिति की सिफारिश पर भरे जाएं। इसमें उम्मीदवार की योग्यता की परख के लिए सक्षम व्यक्ति होंगे और वे पूर्वोक्त सिविल सेवा अधिकारी के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा मनोनयन दलित वर्ग, मुसलमानों तथा गैर–ब्राह्मणों के लिए यहां उल्लिखित पूर्वताक्रम से जब तक आरक्षित रहेगा, जब तक सेवा में उनकी संख्या एक निश्चित अनुपात तक नहीं पहुंच जाती।

(2) इस बारे में कदम उठाए जाएं कि मुख्यालय में इन समुदायों के अधिकारी और अधिक संख्या में नियुक्त किए जाएं।

(3) एक केन्द्रीय भरती बोर्ड का गठन किया जाए। वह केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करे। यह नियुक्तियों और रिक्तियों के लिए सभी अर्जियों को रजिस्टर में दर्ज करे और आवेदनकर्ताओं को उन कार्यालयों में संपर्क में रखे जहां समय–समय पर रिक्तियां हैं या हो। यह जरूरी है कि नौकरी और उम्मीदवार के बीच संपर्क बना रहे, यदि इस इच्छा को पूरा करना हैं। ऐसा बोर्ड नहीं है। इसी कारण बंबई सरकार के प्रयासों को इस संबंध में वह सफलता नहीं मिल सकी, जिसकी आशा उससे की जाती थी।

साभार – बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–4
पृष्ठ सं. 103 से 114
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
मधुरिमा मित्ता
उपायुक्त राज्यकर विभाग
लखनऊ (उ.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
श्यामलाल
सेवाक्रमिक, कानपुर विकास प्राधिकरण

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
अजीत कुमार
सहायक अभियन्ता के.डी.ए., कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
राम सजीवन
भारतीय बौद्ध महासभा कोषाध्यक्ष

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
राजेन्द्र कुमार कुरील
लेखाकार, पी.पी.एन.डिग्री कालेज, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
सुशीला गौतम
ऑफिस सुपरिडेन्ट
एस.सी./एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन
ऑफ बी.एस.एन.एल. प्रान्तीय सचिव

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
रामचरन
पम्प आपरेटर
कानपुर विकास प्राधिकरण

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
हीरालाल संखवार
सचिव एस.सी./एस.टी. एसो.
मुख्य डाकघर कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
अजय कुमार
लिपिक, के.डी.ए., कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
डा. बल्देव प्रसाद
जिला उद्यान अधिकारी, महोबा, उ.प्र.

उ.प्र. के समस्त हथकरघा बुनकरो उद्यमी को
71 वें वर्ष की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
जे. पी. दिनकर
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
श्रीराम कमल(समाजसेवी)
ग्राम-बगदौधी बॉगर, पो0-मन्धना,
कानपुर नगर, मो0: 9450342251

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
कमलेश कुमार
सहा.प्रबन्धक/निजी सचिव (प्र.नि.)
उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
विपिन सागर
महेनदर नगर, निकट रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय
बरेली

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
अशोक कुमार
उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम

रक्षाबन्धन

श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबन्धन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन वर्षा का हवन यज्ञों द्वारा आह्वान किया जाता है। इस दिन दो त्यौहार इकट्ठे ही हो जाते हैं। एक श्रावणी और दूसरा रक्षाबन्धन। इस दिन ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए जिजमान के है और बहन भाई को राखी बांधते हैं। इस दिन द्विज लोग नया जनेऊ धारण करते हैं। इस सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है। एक बार आर्य देवता और दैत्य अनार्यों में 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा अनार्य विजयी हो गये और इन्द्रादि पराजित हो गए। इन्द्र ने गुरू बृहस्पति से कहा कि अब तो न मैं ठहर सकता हूँ न ही भाग सकता हूँ अब तो मरना ही निश्चित है। तब गुरू की सलाह पर इन्द्र ने अपनी पत्नी का प्रयोग कर जाल रचा और मोहिनी की भांति दैत्यों के साथ एक पोटली बांधकर छल किया तथा दैत्यों को युद्ध स्थल से गुमराह कर हटा दिया तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है।

विधि-विधान : द्विज लोग गांव के समीप तालाब या नदी में पुरोहित की बताई विधि के अनुसार श्रावणी कर्म कराते हैं। शरीर की शुद्धि के लिये दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र पंच गव्य बनाकर दिए जाते हैं व खीर,
घी, शक्कर जौ का विधिवत हवन होता है। उपाकर्म कहते है फिर पानी में खड़े होकर सूर्य की स्तुति होती है। सात ऋषियों व पित्रों का पूजन कर दधि व सत्तू की आहुतियां दी जाती हैं। इसे उत्सर्जन कहते हैं। दोपहर के बाद सूती ऊनी वस्त्र लेकर चावल रख गांठ लगाकर हल्दी केसर के रंग में रंगकर उसे रख देते हैं। गोबर से लिपवा कर चावलों से चौक पुरवा कर उस पर अन्न भरा घड़ा रखते हैं और पुरोहित को बुलाकर घड़े का पूजन कराते हैं। चावल की पोटरियाँ यजमान के हाथ में बांधते है और ब्राह्मण मन्त्र पढ़ते हैं। इस दिन नदी के किनारे ब्राह्मण नया जनेऊ धारण करते हैं। औरतें आदमियों की आदमियों की आरती उतारती हैं।

उद्देश्य एवं रहस्य : इस त्योहार के निम्नलिखित उद्देश्य रहे हैं।

(1) यह ब्राह्मण पूजा का दिन है। इस दिन ब्राह्मणों को नरम और मीठा भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण अपनी रक्षा का भार राखी बांधकर दूसरों पर डालता है और इसी बहाने वह अन्न, सोना, दूध, दही का दान एठता है।

(2) दूसरा इस त्योहार का रहस्य यह है कि यही अनार्यों को दमन उचित ठहराते थे।

त्यौहार आर्य और अनार्य संघर्ष एवं अनार्य दमन की यादगार है। यह इस बात का भी रहस्य है कि आर्य जब हार जाते थे तो स्त्रियों को कपट के लिये काम में लेते थे। कपट से भी अनार्यों को दमन उचित ठहराते थे।

(3) हवन यज्ञों में विधान के द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों का दान से हित साधन करना भी इसका उद्देश्य रहा है।

(4) यह त्योहार स्त्री दासता का प्रतीक है। स्त्री को निर्बल अबला कहकर इसकी रक्षा का भार पुरूष पर डाला गया हैं। अपनी रक्षा की राखी बांधकर स्त्री सदैव दूसरों की आश्रित और अपने को हीन समझती रहे यह भी इस त्यौहार का उद्देश्य है।

(5) गाय की पूजा और पवित्रता की स्थापना हेतु गौमूत्र का हवन करना गाय की भक्ति को प्रोत्साहन देना है।

इस प्रकार यह त्यौहार अर्नाय, जो आज के शूद्र हैं, उनका नहीं है। दशहरा क्षत्रियों का दिवाली वैश्यों की और इसी प्रकार श्रावणी ब्राह्मणों का ही त्योहार है।

साभार-हिन्दुओं के वर्त पर्व और त्यौहार
पृ.सं. 33 से 35 तक
एस.एल.सागर

समस्त पाठकों को द्रविड़ भारत की ओर से .....
रानी अहिल्याबाई होल्कर परिनिर्वाण दिवस
13 अगस्त

समस्त पाठकों को द्रविड़ भारत की ओर से .....
रानी अहिल्याबाई जन्मदिवस
14 अगस्त

समस्त पाठकों को द्रविड़ भारत की ओर से .....
नारायण गुरू जयन्ती
26 अगस्त

के उपलक्ष्य में समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
नीतू जयसवार
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला
लाल बंगला, कानपुर
मो. : 9838291001

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
आनन्द मोहन
संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...
के. के. गौतम
संयुक्त आयुक्त
राज्यकर विभाग, कानपुर नगर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
संजीव कुमार कनौजिया
क्षेत्रीय लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता
उ0 प्र0 जल निगम कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
कालेश्वर दयाल
पी.ए.
कार्यालय मुख्य अभियंता
राम गंगा सिचाई विभाग, कानपुर, उ0प्र0

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
इ. रोहित
सहायक अभियन्ता द्वितीय
इटावा (उ.प्र.)

GUIDILINES FOR IMPROVING THE FUNCTIONING OF NA CENTRES FOR SC/STs.

i) Result Framework Document has already been prepared by you in close consultation with the DGE Hqrs. These physical target are reflected in Annex-I. You are required to divide these target in equal monthly sub target and ensure that about 10% of the annual target are achieved every month. Your performance will be monitored on the basis of monthly achievements both is physical and financial terms.

ii) Industries/employers must be closely involved in the day to day functioning of the NCSCs and therefore, it has been decided to constitute Centre Management Committees by identifying some prominent industry members, who may not only use the services of educated SC/ST jobseekers for their establishments but also can contribute by way of their vast experience, expertise and resources for effective administration of NCSCs. You are required to issue advertisement in the local newspaper and invite proposals from the interested industrialists/ employers who want to get associated with the functioning of NCSCs. You can identify about 10 big industrialists / employers and send their name along with their bio-data and name of industry they are heading so that Centre Management Committee could be constituted. You may also suggest one of the senior-most industry partners as Chairperson and other industrialists/employers could be members of Centre Management Committee.

iii) Expenditure on object heads: machinery and equipment, supply of material, minor work, office expenses and domestic travel may be incurred in a planned manner right from the beginning of the financial year so that optimum utilization of budget allocation could be ensured.

iv) Close linkage with employer organizations in public and private sector may be maintained.

v) Use of experts/consultants for conducting interview, etc. may be made.

vi) Training is soft skills/employable skills may be conducted. For this purpose, NIMI material could be used.

vii) Employment target may be fixed atleast at 60% of the enrolment.

viii) All NCSCs are requested to maximize the use of internet to tap information on Group "C" pots reserved for SC/ST candidates so that all deserving candidates may be guided suitably and are placed in employment according to their educational qualifications, experience, etc. Service of placement experts may also be hired, wherever required.

ix) To develop confidence and to elimate the hesitation from appearing in the examinations, interview etc. NCSCs may conduct a number of mock interviews, pre-recruitment training programmes, pre-interview counseling/workshops etc., so that an edge and sharpness in brought in their preparedness for various group "C" posts' examination, interviews and thereby enhancing their employability. Services of experts may be hired for this propose, wherever required.

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

x) Efforts may be made by NCSCs to fill up the vacant posts at their Centres at the earliest so that work of coaching and guidance for enhancing the employability of SC/S job seekers may not be hampered.

xi) To achieve the physical targets during 2017-18, centres are advised to invite sufficient number of candidates of each training programme so that, even after drop out of candidates due to genuine reasons, there is no shortfall. Emphasis may be laid on organizing "Razgar Melas", Career Exhibition, etc., exclusively for SC/ST candidates in collaboration with district administration and Project Directors. Participation by SC/ST educated youth in these Rozgar Melas, Career Exhibitions will provide ample exposure to various vocations/job opportunities available in the country.

xii) NCSCs are requested to give wide publicity to various training and guidance programmes through print and electronic media so that a large number of SC/ST candidates in these training programmes and outreach of their programme is enhanced.

xiii) To check the increasing rate of drop ot of SC/ST candidates in special coaching scheme and computer training programmes, NCSCs are also monitor the progress of the schemes strictly and regularly. NCSCs are also requested to maintain the coordination and liaison with the training institution on regular basis to check the progress of the SC/ST candidates undergoing training programme and also to motivate those SC/ST candidates for finally appearing in the examination who have dropped from the schemes due to joining some other educational or training courses after completion of 1 or 2 months of training/

xiv) To motivate unemployed SC/ST youth for taking up self employment, NCSCs are advised to have close liaison with financial institution like SC/ST state Finance Development Corporation, Cooperative and Nationalised Banks, Industry Department, DICc/SISIs and other institution engaged in the promotion of self employment.

xv) For achievement of financial targets, NCSCs are instructed in incur proportionate expenditure of approx. 10% per month of the BE allocated so as to ensure full utilization of budget allotted. Instructions issued by Department of Expenditure in this regard may also be observed strictly. As per guidelines of Ministry of Finance an even pace of expenditure throughout the year may be ensured. It may also be ensured that expenditure during the last quarter and last month of the financial year does not exceed 33% and 15% respectively.

xvi) The proposals exceeding powers of SREOs for seeking approval of Hqrs. for purchase of machinery/equipment may be sent immediately for even paced utilization of resources during the year but in no case later than 30th September, 2017. No proposal will be entertained thereafter.

National Career Service for SC/ST
Ministery of Labour & Employment,
Kanpur Nagar

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...

इं. के.के.लाल

प्रधानाचार्य/असिस्टेन्ट
अप्रेन्टिस–शिप एडवाइजर राजकीय
आई.टी.आई., फैजाबाद (उ.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ...

जगमोहन

उप निदेशक लेबर डिर्पाटमेन्ट
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

कानपुर विकास प्राधिकरण

का० वि० प्रा०

स्वतन्त्रता दिवस के पावन पर्व पर

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित योजनाओं में

मनचाहा फ्लैट पाने का स्वर्णिम अवसर

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन योजनाओं के.डी.ए. सिग्नेचर ग्रीन्स, के.डी.ए. ग्रीन्स, के.डी.ए. हाईट्स, के.डी.ए. ड्रीम्स, एफोर्डेविल आवास योजना व के.डी.ए. रेजीडेन्सी में मनचाहा फ्लैट प्राप्त किये जाने हेतु जनमानस को आमंत्रित किया जाता है। योजना फ्लैटों की उपलब्धता तक लागू है।

बुकिंग हेतु आनलाइन सुविधा भी उपलब्ध। जानकारी के लिये लॉगइन करे – www.kdaindia.co.in

KDA SIGNATURE GREENS

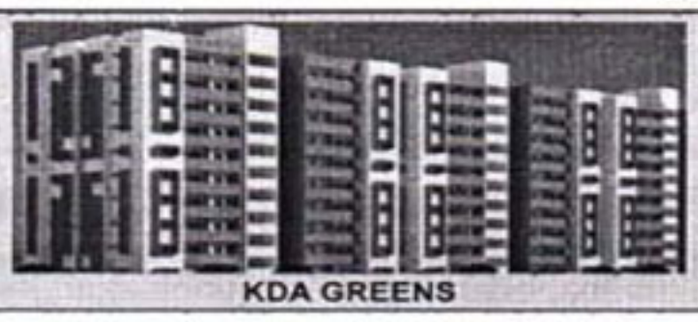
KDA GREENS

KDA HEIGHTS

KDA DREAMS (READY FOR POSSESSION)

AFFORDABLE AWAS YOJNA

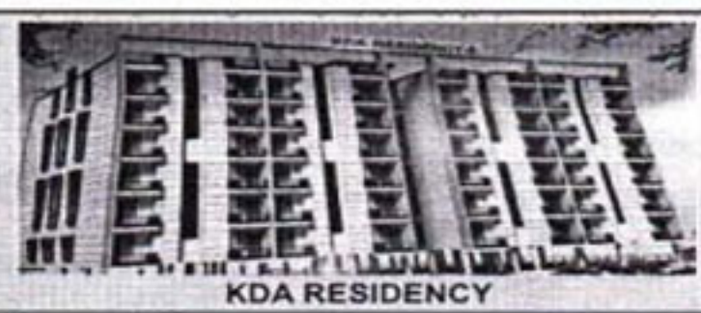
KDA RESIDENCY

—: फ्लैटों का विवरण :—

क्रम सं.	योजना	स्थल	श्रेणी	उपलब्ध फ्लैट	अनुमानित कवर्ड एरिया (वर्गमी. में)	अनुमानित मूल्य (रू. लाखों में)	पंजीकरण धनराशि (रू.में)
1	के.डी.ए. सिग्नेचर ग्रीन्स	विकास नगर	3 बी.एच.के.	349	128.80	58.30	5,83,000.00
2			2 बी.एच.के.	382	103.13	46.65	4,66,500.00
3	के.डी.ए. ग्रीन्स	मैनावती मार्ग	3 बी.एच.के.	165	111.05	40.22	4,02,200.00
4			2 बी.एच.के.	75	75.93	27.50	2,75,000.00
5	के.डी.ए. हाईट्स	कल्यानपुर बिठूर मार्ग	3 बी.एच.के.	35	109.62	39.70	3,97,000.00
6			2 बी.एच.के.	43	75.93	27.50	2,75,000.00
7	के.डी.ए. ड्रीम्स	शताब्दी नगर सेक्टर–4	2 बी.एच.के.	1097	75.93	27.50	2,75,000.00
8	एफोर्डेविल आवास योजना	शताब्दी नगर सेक्टर–2	2 बी.एच.के.	1577	67.00	भूतल–25.20 प्रथम से तृतीय तल–22.70 चतुर्थ तल–23.30	2,50,000.00
9		जवाहरपुरम् सेक्टर–13	2 बी.एच.के.	1653	67.00		2,50,000.00
10		जवाहरपुरम् सेक्टर–6	2 बी.एच.के.	356	67.00		2,50,000.00
11	के.डी.ए. रेजीडेन्सी	किदवई नगर ओ ब्लाक	2 बी.एच.के. + स्टडी (द्वितीय से पंचम तल	70	125.26	42.435	4,24,500.00
12			2 बी.एच.के. + स्टडी (छठां तल)			43.62	4,36,200.00

नियम व शर्तें– (1) फ्लैट के चयन के साथ ही आवेदक को के.डी.ए. सिग्नेचर ग्रीन्स योजना हेतु रू. 1,575.00 एवं शेष योजनाओं हेतु रू. 1,050.00 का भुगतान कर आवेदन पुस्तिका प्राप्त करनी होगी तथा निर्धारित पंजीकरण धनराशि सहित आवेदन भरकर प्राधिकरण में ही सम्बन्धित काउण्टर पर जमा की जा सकती है। (2) प्राधिकरण के अतिरिक्त के.डी.ए. सिग्नेचर ग्रीन्स की पंजीकरण पुस्तिका बैंक ऑफ बड़ौदा की नगर की समस्त शाखाओं, के.डी.ए. ग्रीन्स, हाईट्स व ड्रीम्स की पंजीकरण पुस्तिका एच.डी.एफ.सी. बैंक की नगर की समस्त शाखाओं तथा एफोर्डेविल आवास योजना की पंजीकरण पुस्तिका एक्सिस बैंक की नगर की समस्त शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (3) आवेदन फार्म में आवेदक को अपना चयनित किया हुआ फ्लैट नम्बर देना होगा। (4) चेक/ड्राफ्ट कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पक्ष में देय होगा। (5) शेष नियम एवम् शर्तें आवेदन पुस्तिका में अंकित है।

पी. के. सिंह अपर सचिव | **के.पी. सिंह** सचिव | **के. विजयेन्द्र पाण्डियन** उपाध्यक्ष

सम्पर्क करें– **7704809212** (जोन–1), **9889615282** (जोन–2), **9451017919** (ज़ोन–4)